



2026:AHC: 56414

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 1696 वर्ष 2026

निशु उर्फ भुवनेश स्वरूप

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : ललित कुमार शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आज दाखिल पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
- 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 3- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, थाना गोवर्धन, जिला मथुरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 514 वर्ष 2025 अंतर्गत धारा 115(2), 352, 351(2), 127(2), 131, 333, 105 बी.एन.एस. से उत्पन्न वाद संख्या 285 वर्ष 2026 में उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- 4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कहते हैं कि वर्तमान वाद में आवेदक को झूठा फँसाया गया है। वह बताते हैं कि 26.09.2025 को हुई कथित घटना के संबंध में 11.10.2025 को विलंबित एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। शुरुआत में, एफ.आई.आर. बी.एन.एस. की धारा 115(2), 352, 351(2), 127(2), 131, 333, 103(1), 191(2) के अंतर्गत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी; हालाँकि, विवेचना के बाद, वाद को बी.एन.एस. की धारा 105(1) के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे बताते हैं कि यद्यपि आवेदक को एफ.आई.आर. में नामजद किया गया है, लेकिन उसे मृतक को कोई घातक चोट पहुँचाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गई है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर चोटें दिखाती है; हालाँकि, मस्तिष्क में, खोपड़ी के फ्रंटो पैरिटल हिस्से पर 2 सेमी x 1 सेमी आकार का एक सब ड्यूरल हेमेटोमा पाया गया था और मृत्यु का कारण जो बताया गया है, वह हाइपोवोलैमिक शॉक है। मृतक की मृत्यु 10.10.2025 को उस अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लौटने पर हुई, जहाँ उसका इलाज चल रहा था।

5- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे बताते हैं कि आवेदक का मामूली अपराधों से जुड़े दो मामलों का आपराधिक इतिहास है और वह पूर्व दोषसिद्ध नहीं है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त हेमेश को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 5353 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 के माध्यम से नियमित जमानत दे दी गई है। आवेदक का मामला समान आधार पर है।

6- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक को विशेष रूप से एफ.आई.आर. में नामजद किया गया है। घटना में आई चोटों के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई है। वह, हालाँकि, पूर्व आपराधिक मामलों के संबंध में आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण का खंडन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि 17.12.2025 को आवेदक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं और इसलिए, उसे कोई रियायत नहीं दी जा सकती है।

7- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि उन्होंने बी.एन.एस. की धारा 103(1) के अंतर्गत अपराध सहित अपराधों के लिए अपना अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था और उनका अग्रिम जमानत आवेदन 02.12.2025 को खारिज हो गया था, हालाँकि, इस बीच वाद को बी.एन.एस. की धारा 105(1) के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया, जिसके लिए एक और अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे अंततः 03.02.2026 को खारिज कर दिया गया। इसलिए, वह तर्क देते हैं कि आवेदक फरार नहीं है और उसने अपने झूठे फंसाए जाने से संरक्षण मांगने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

8- मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. को सुना है।

9- **आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2024 एससीसी आनलाइन 5633** में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 8 में इस प्रकार अंकित किया है और राय व्यक्त की है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"अग्रिम जमानत पर विचार करने पर आते हुए, द.प्र.सं. की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा की स्थिति में, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण रोक होगा।"

10- न्यायालय की राय में, आवेदक उसे उपलब्ध उपचारों का लाभ उठा रहा था और इसी बीच गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। आवेदक को फरार नहीं माना जा सकता है।

11- विद्वान ए.जी.ए. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई 26.09.2025 की प्रथम चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के परिशीलन से, इंगित होता है कि मृतक को सिर में कोई चोट नहीं आई है। 26.09.2025 की प्रथम चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा नीचे इस प्रकार उद्धृत किया गया है:-

(1) बाएं हाथ के अंगूठे के वेब पर 2 सेमी x 0.5 सेमी आकार का फटा हुआ घाव, रक्त और सूजन के साथ टेंडरनेस मौजूद।

(2) बाएं हाथ की तर्जनी उंगली (index finger) के आधार पर 0.1 सेमी x 0.1 सेमी आकार का फटा हुआ घाव, ताजा रक्त मौजूद।

(3) बाएं घुटने पर दर्द और सूजन की शिकायत। टेंडरनेस मौजूद। (4) बाएं अग्रबाहु पर दर्द की शिकायत।

12- एफ.आई.आर. का अपना ही कथन है कि मृतक का इलाज 26.09.2025 से 03.10.2025 तक अस्पताल में चला था। उसकी मृत्यु 10.10.2025 को बताई गई है। मृत्यु का कारण हाइपोवोलैमिक शॉक बताया गया है। प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि 26.09.2025 की प्रथम चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित चोटें पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट में बताई गई मृत्यु के कारण से मेल नहीं खाती हैं। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है।

13- वाद के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों और एफ.आई.आर. दर्ज करने में अत्यधिक देरी (को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

14- उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15- आवेदक- **निशु उर्फ भुवनेश स्वरूप** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना-प्रभारी / न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें नहीं डराएगा-धमकाएगा;

16- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

17- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन निर्णीत करने के लिए हैं और इन्हें वाद के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

19 मार्च, 2026

ए. पांडेय